न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 20/2015 तारीख रजू:– 20.05.2015

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. उर्मिला देवी पत्नि सम्पतसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तह0 हिण्डौन
2. ब्रहमसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तह0हिण्डौन–मृतक

2/1. मधु बेबा ब्रहमसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन

2/2. लोकेन्द्र चौधरी | पिसरान ब्रहमसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा

2/3. राज चौधरी | तहसील हिण्डौन जिला करौली

2/4. रानी परी पुत्री ब्रहमसिंह जरिये संरक्षिका माता मधु बेबा ब्रहमसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. राकेश पुत्र सम्पतसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तह0 हिण्डौन
4. रेखा पुत्री सम्पतसिंह पत्नि रूपेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— सायलान

बनाम

1. हंसो देवी पत्नि नवलसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. उपपंजीयक हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :–24.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा उक्त उनवान का वाद इस अदालत

में गैरसायलान के विरुद्ध पेश कर दिया है, जिसमें सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायलान व दावे के प्रतिवादी सं02 ता 8 एक ही परिवार के बुजुर्ग विन्दावन की संताने हैं। जिनका पारिवारिक सजरा इस मद में अंकित किया है, जिसमें धुन्दी (फौत) के दो लडके विन्दावन (फौत), रज्जू (फौत) तथा विन्दावन के तीन लडके किशनसिंह, सम्पतसिंह ओमप्रकाश, किशनसिंह के पांच पुत्र शक्तिसिंह नरेन्द्रसिंह हाकिमसिंह गजेन्द्रसिंह देवेन्द्रसिंह एवं पत्नि शकुन्तला हैं तथा सम्पतसिंह के दो लडके ब्रहमसिंह, राकेश एवं एक पुत्री रेखा तथा पत्नि उर्मिला हैं, रज्जू के तीन लडके नवलसिंह भगवानसिंह प्रेम (फौत) हैं, प्रेम के वारिस हंसोदेवी (सायला) है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायला सं01 के पति व सायल सं0 2 ता 4 के पिता सम्पतसिंह जो विन्दावन के औरस पुत्र हैं तथा विन्दावन सायल सं01 के ससुर हैं तथा सायल सं02 ता 4 के बाबा (दादाजी) हैं। दावे के प्रतिवादी सं02 के पिताजी एवं दावे के प्रतिवादी सं0 3 ता 7 के दादाजी तथा दावे के प्रतिवादी सं08 के ससुर है। इस प्रकार से विन्दावन के जायज वारिसान हैं। जो उनके तर्के पर काबिज काश्त हैं। स्वर्गीय विन्दावन की खातेदारी स्वामित्व व स्वत्व की भूमि सायलान के पति एवं सायल सं02 ता 4 के पिता सम्पतसिंह तथा दावे के प्रतिवादी सं02 ता 8 को विरासत में प्राप्त हुई है। जो उनकी पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर सभी का समानुपात अपना अपना हित एवं अधिकार है। सायलान एवं गैरसायल सं01 एवं दावे के प्रतिवादी सं02 ता 11 स्वर्गीय बुजुर्गान धुन्दी की संतान हैं। जो उसके तर्के पर काबिज काश्त हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.90 है0, 238 रकबा 0.84 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसका सेटिलमेन्ट से पूर्व का खसरा नम्बर 43 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2065–68 में सायल

सं01 के पति व सायल सं02 ता 4 के पिता श्री सम्पतसिंह बहिस्सा 1/6 भाग तथा दावे के प्रतिवादी सं0 2 एवं 3 लगायत 7 के पिताजी व दावे के प्रतिवादी सं0 8 के पति का नाम बहिस्सा 2/6 भाग तथा 1/2 भाग के दावे के प्रतिवादी सं0 9 ता 11 खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 45 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा है। जिसकी खातेदारी मुताविक जमाबन्दी सं0 2065–68 में सायल सं01 के पति व सायल सं02 ता 4 के पिता हिस्सा 1/3 भाग तथा दावे के प्रतिवादी सं0 2 हिस्सा 1/3 भाग तथा दावे के प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 के पिताजी व दावे के प्रतिवादी सं0 8 के पति का हिस्सा 1/3 भाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो बुजुर्गान के समय से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं03 व 4 प्रार्थना पत्र सायलान व दावे के प्रतिवादी सं02 ता 11 को अपने पूर्वजों से जरिये नामान्तकरण सं0 168 दिनांक 23.04.1978 को विरासत में प्राप्त हुई है। जो सायलान व दावे के प्रतिवादी सं0 2 ता 11 की पैत्रिक सम्पत्ति है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायल सं01 के पति व सायल सं0 2 ता 4 के पिता श्री सम्पतसिंह सीधे साधे अशिक्षित गरीब मजदूर थे। जो कानून के बारे में नहीं जानते और ना ही समझते। गैरसायल सं01 चतुर और चालाक किस्म महिला है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात वर्णित मद नं03 व 4 प्रार्थना पत्र को गैरसायल सं01 ने सायलान के पिता सम्पत को बहला फुसलाकर झूंठा प्रलोभन देकर बिना सायलान को बताये सरकारी कर्मचारियों से साजकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी खातेदारी अपने नाम तब्दील करवाई है, जोअवनीसियो बोईड व प्रभावहीन सायलान है। सायल सं01

के पति व सायल सं02 ता 4 के पिता श्री सम्पत का नाम राजस्व रिकार्ड से गैरसायल सं.1 ने हजफ करवा दिया। जो कानूनी तौर पर न्याय संगत नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 28.02. 2015 को सायलान अपने कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि अपने हिस्से में खडी फसल मौजूदा को देखने गये, तो गैरसायल सं01 आमादा फिसाद हुई और कहा कि अब तुम्हारा उक्त भूमि वर्णित मद नं0 3 व 4 प्रार्थना पत्र से कोई लेना देना नहीं है। सब जमीन जायदाद मैंने अपने नाम करवा ली है और भविष्य में उक्त आराजीयात में कभी पैर मत रखना, अगर तुम आये तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तुडवा दूंगी। तब सायलान ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि यह भूमि हमारी है, हमारे नाम है। हमने ही काश्त की है। इतने पर गैरसायल सं01 आग बबूला हो गयी और अपने पति व पुत्र के साथ मिलकर सायलान से झगडा करने पर उतारू हो गये। हाय हल्ला सुनकर आस पास के खेतों वाले वहॉ इकट्ठे हो गये। जिन्होंने भी गैरसायल सं01 व उसके पति– पुत्र को काफी समझाया परन्तु गैरसायल सं. 1 अजखुद मानने को तैयार नहीं हुई।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें अपूर्तनीय क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 237 रकवा 0.90 है0, 238 रकबा 0.94 है0, 295 रकबा 0.50 है0 बाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन सायलान के हिस्सा को रहन वय नहीं करें और ना ही ऐसा कोई कार्य करें और

ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे सायलान के हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। सायलान के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे मजाहमत मदाखलत पेदा नहीं करे। उन्हें शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.04.2015 को गैरसायल सं01 की ओर से श्री राजूलाल एडवोकेट ने उपस्थिति दी तथा दिनांक 18.11.2015 को गैरसायल सं01 की ओर से श्री राजूलाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा गैरसायल सं02 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं01 को जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करने के लिए कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 15.01.2026 को गैरसायल सं01 व उनके अधिवक्ता बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 किता 2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत अपठनीय, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2015 – 18, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 पेश किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशनलाल प्रकाश पि0 विन्दावन हि0 2/3, हंसोदेवी पत्नि नवलसिंह हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.90 है0, 238 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नवलसिंह भगवानसिंह पि0 रज्जू हि0 1/3, श्रीमती हंसोदेवी पत्नि नवलसिंह हि0 1/3, किशनसिंह ओमप्रकाश पि0 विन्दावन हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् अपठनीय के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशनलाल सम्पत प्रकाश पि0 विन्दावन जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् अपठनीय के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.90 है0, 238 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नवलसिंह भगवानसिंह पि0 रज्जू हि0 1/3, गोविन्द बल्द प्रेम हि0 1/6, किशनसिंह सम्पतसिंह ओमप्रकाश पि0 विन्दावन हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये:–

हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नं0	रकबा
237	0.90	43 मिन	7 बीघा 11 बिस्वा
238	0.84	43 मिन	—
295	0.50	45	2 बीघा 5 बिस्वा

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2015 – 18 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 43 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मुकन्दपुरा तह. हिण्डौन की खातेदारी रज्जू विन्दावन जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 45 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किसनलाल सम्पत प्रकाश पि0 वृन्दावन जाति जाट निवासी देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.90 है0, 238 रकबा 0.84 है0, 295 रकबा 0.50 है0

वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में सायल सं01 के पति एवं सायल सं02 ता 4 के पिता सम्पतसिंह पुत्र विन्दावन जाति जाट का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जबकि साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, साबिक व हाल रिकार्ड के मिलान करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार सम्पतसिंह पुत्र विन्दावन जाति जाट के स्थान पर गैरसायल सं01 हंसोदेवी पत्नि नवलसिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है, मुख्य विषय का बिन्दू यह है कि उक्त विवादित आराजीयात में हंसोदेवी का नाम राजस्व रिकार्ड में कैसे आया। ये सभी तथ्य दावे में दावे में तय होने के हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो उक्त विवादित आराजीयात में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार नहीं है और ना ही सायल सं01 के पति एवं सायल सं02 ता 4 के पिता सम्पतसिंह पुत्र विन्दावन जाति जाट का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल सं01 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफेंसला दावा पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.90 है0, 238 रकबा 0.84 है0, 295 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज मुजेर) 24/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली